न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 44/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन
   एफबीओ मैसर्सः— शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
2. श्रीमती अन्जू जैन
   मालिक मैसर्स— शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
3. श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन)
   नोमिनी मैसर्स—**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.**
4. मैसर्स— **Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.12.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.05.2016 को दोपहर 12:15 बजे मैसर्स शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 10 कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में पैक **Packaged Drinking Water (Bisleri)** (10 कार्टून X 12 बोटल X 1 लीटर) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 16 मूल पैक बोतल X 1 लीटर वजन की नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं0 ई16—06000668 दिनांक 3.5.2016 प्रस्तुत किया, जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा **Packaged Drinking Water (Bisleri)** की 16 बोतलो को चार–चार जगह अलग–अलग बांधकर बोतलों पर लेबल चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1373 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की तथा अलग से जरिये डाक एक प्रति मुल्जिम सं0 3 को भेजी, जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 12.5.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.5.2016 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bisleri)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 1272 / एक्ट / 2016 / 2127 दिनांक 3.6.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bisleri)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bisleri)** के नमूने पर **''Best for consumption with in 6 months from the date of packing''** अंकित किया गया है जबकि इसके स्थान पर **''BEST BEFORE SIX MONTHS FROM MANUFACTURE''** होना चाहिये था, इस कारण से नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 44/2016 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1272/एक्ट/2016/2127 दिनांक 3.6.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bisleri)** का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन) नोमिनी मैसर्स–**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur** एवं अभियुक्त सं0 4 मैसर्स–**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur** द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bisleri)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये ज़ाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन) नोमिनी मैसर्स–**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur** एवं अभियुक्त सं0 4 मैसर्स–**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur** पर 21000/– (अक्षरे इक्कीस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.12.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक/7679-84
दिनांकः– 27.12.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन एफबीओ मैसर्सः– शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
4. श्रीमती अन्जू जैन मालिक मैसर्स– शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
5. श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन) नोमिनी मैसर्स–**Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.**
6. मैसर्स– **Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.**

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा